झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/212–खण्ड–1/2003................ राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **गढ़वा जिलान्तर्गत पूर्व निर्मित दानरो जलाशय योजना से निसृत 636 चेन लंबी दानरो बाँयी मुख्य नहर में पानी की कमी को दूर करने हेतु इसके चेन सं०–199 पर जल अगुमेंटेशन हेतु निर्माणाधीन केहुनिया नाला जल संवर्द्धन योजना के ₹ 739.85 (सात करोड़ उनचालिस लाख पचासी हजार रूपये मात्र) के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. गढ़वा जिलान्तर्गत पूर्व निर्मित दानरो जलाशय योजना से निसृत 636 चेन लंबी दानरो बाँयी मुख्य नहर में पानी की कमी को दूर करने हेतु इसके चेन सं०–199 पर जल अगुमेंटेशन हेतु निर्माणाधीन केहुनिया नाला जल संवर्द्धन योजना के ₹ 739.85 (सात करोड़ उनचालिस लाख पचासी हजार रूपये मात्र) के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इस योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में पत्रांक–32 दिनांक–22.03.2007 के द्वारा रू० 475.37 लाख के लिए प्रदान की गयी थी।
4. इसके अन्तर्गत पूर्व में करा लिये गये कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य कराये जायेंगे :–
   a) निर्मित वीयर के बांयी तरफ 70 मीटर लम्बाई में मिट्टी का सुरक्षात्मक तटबंध।
   b) लिक चैनल का कि०मी० 1.05 पर HP SLR
   c) लिंक चैनल के कि०मी० 1.35 पर Super Passage का निर्माण
   d) लिंक चैनल के कि०मी० 1.62 पर HP SLR
   e) लिंक चैनल के कि०मी० 1.95 पर HP SLR
   f) लिंक चैनल का अवशेष मिट्टी का कार्य
   g) लिंक चैनल के तीन वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुके हिस्से में जमा मिट्टी हटाने का कार्य
   h) लिंक चैनल का अवशेष लाईनिंग कार्य
5. यह कार्य वर्ष 2016–17 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 64–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण एवं मुख्य शीर्ष 4701 मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय उपशीर्ष 64–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

D:\Node-4\Mi Sir\A.A.K\Sanlekh\Danro (739.81).doc

7. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर होगें।

8. इस कार्य हेतु राशि की निकासी गढ़वा कोषागार से की जायेगी।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. इस कार्य के लिए वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/212–खण्ड–1/2003................ राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/212–खण्ड–1/2003................ राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/212–खण्ड–1/2003 70/15-16 .... **राँची, दिनांक** 18.03.2016

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर,/ अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल गढ़वा शिविर, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, को प्रशासनिक स्वीकृति online करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/16

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

18/03/16